न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 657 / 2005 / गंगानगर

गोरधनराम पुत्र रामजस जाति कुम्हार निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला गंगानगर हाल निवासी हाथियावाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

——अपीलांट

बनाम

रामजस पुत्र गोविन्दराम मृतक जरिये वारिसान–

1. अमरदेव पुत्र रामजस
2. पूर्णराम पुत्र रामजस
3. रामनारायण पुत्र रामजस
4. श्योदत्तराम पुत्र रामजस
5. ताराचंद पुत्र रामजस मृतक जरिये वारिसान–
   5 / 1. कमला पत्नी ताराचंद
   5 / 2. राकेश पुत्र ताराचंद
   5 / 3. सुरेश पुत्र ताराचंद
6. इन्द्राज पुत्र रामजस
   समस्त जाति कुम्हार निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला गंगानगर
7. राजस्थान सरकार

——रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री मनीष पाण्ड्या, अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेश गौतम, श्री अभिषेक छाबडा, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 27–06–2024

निर्णय

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 90 / 2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–11–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचारण न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की एवं पक्षकारान की साक्ष्य दर्ज कर व दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 18—04—2002 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया एवं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 23—11—2004 द्वारा खारिज कर दी। उनका तर्क है कि तनकी संख्या 1 इस आशय की कायम की गई कि 'आया वादी के दादा गोविन्दराम के नाम दावा के पेरा संख्या 3 में दर्ज रकबा 60 बीघा नहरी भूमि थी, वादी के दादा के मरने के बाद उपरोक्त जमीन प्रतिवादी रामजस के नाम दर्ज है।' वस्तुतः उक्त विवाद बिन्दु का मंतव्य यह था कि क्या यह भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का अधिकार है। इस तनकी का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में करते हुए स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण सभी ने 60 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता यानि वादी के दादा गोविन्दराम से प्राप्त होना बताया है जो प्रदर्श—3 नामान्तरकरण से भी प्रमाणित है। इससे यह स्पष्ट है कि तनकी संख्या 1 में 60 बीघा भूमि को पैतृक सम्पत्ति स्वीकार कर वादी के पक्ष में निर्णय किया गया है। इसी आधार पर वादी का वाद स्वीकार होने योग्य था किन्तु फिर भी वाद निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है। तनकी संख्या 2 इस आशय की कायम की गई कि ''आया विवादग्रस्त भूमि जद्दी जायदाद होने की वजह से वादी 1/8 हिस्सा का हकदार है तथा अपने हक की घोषणा तथा कब्जा पाने का हकदार है।'' विचारण न्यायालय ने उक्त तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध करते हुए यह अंकित किया कि भूमि वादी के दादा से प्राप्त होने से जद्दी जायदाद है जिसमें पिता पुत्रों का समान अधिकार है किन्तु वादी द्वारा बंटवारा का वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा जब तक घोषणात्मक वाद के साथ बंटवारा का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो घोषणा हक की हो जाने के बाद भी धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अभिमत विधिक प्रावधानों के अवहेलना में पारित मत है। विभाजन अपनेआप में कोई वाद कारण नहीं है अपितु अनुशांगिक अनुतोष के रूप में दिया जाने वाला अनुतोष है जो न्यायालय का दायित्व है तथा अनुतोष की अनुपस्थिति में वाद निरस्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की तकनीकी बिन्दु पर निर्णय पारित करने में विचारण

न्यायालय ने त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि जहां तक 93 बीघा एवं 20 बीघा भूमि संयुक्त परिवार की आय से क्रय करने का प्रश्न है, ऐसा कतई संभव नहीं है कि 60 बीघा की आय से इतने विशाल परिवार द्वारा लगभग 110 बीघा से भी अधिक भूमि क्रय की जा सके। स्वयं वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्ट किया गया था कि 24 पीटीपी की 1 मुरब्बा भूमि जो मेरे धारण में है जो सन् 1962 की नीलामी में मेरे खुद की ली हुई है व मैं अपने पिता से 40 वर्षो से अलग रह रहा हूं। मैंने अपने पिता से इस भूमि हेतु कोई पैसा नहीं लिया ऐसी स्थिति में तथाकथित 113 बीघा भूमि क्रय किया जाना कतई सिद्ध नहीं हुआ है फिर भी तनकी संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में गलत रूप से किया गया है। इसी प्रकार तनकी संख्या 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसमें मात्र प्रतिवादीगण की साक्ष्य के आधार पर भूमि को वाद में सम्मिलित कर दिया गया एवं तनकी संख्या 2 व 3 के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया, जो अनुचित है। विचारण न्यायाल द्वारा तनकी संख्या 5 व 7 का निर्णय एक साथ किया गया जिसके अनुसार तथाकथित विभाजन पत्र दिनांक 10–12–1970 के अनुसार कब्जा माना एवं ऐलानिया तौर पर प्रतिवादी का कब्जा होने से वादी के विरूद्ध प्रतिकूल धारण हो गया। तथाकथित 60 बीघा पैतृक भूमि की आय से 113 बीघा भूमि क्रय करना प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है एवं समस्त भूमि का बंटवारानामा दिनांक 10–12–1970 को किया जाना बताया है किन्तु वास्तविकता यह है कि उपरोक्त बंटवारानामा में मात्र प्रतिवादीगण रामजस, अमरदेव, रामनारायण के हस्ताक्षर हैं जबकि वादी गोर्वधन एवं सूरजाराम, श्योदत्तराम, इन्द्राज व ताराचन्द के हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही इस प्रलेख दिनांक 10–12–1970 को किसी प्रकार से बंटवारानामा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि न तो इसमें समस्त सदस्य पक्षकार हैं एवं न ही भूमिधारी तहसीलदार की सहमति है। ऐसी स्थिति में इस विभाजन को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 8 से 11 का निर्णय सरसरी तौर पर किया गया है। तनकी संख्या 5, 7 से 11 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया गया है किन्तु अकस्मात ही तनकी संख्या 12 का निर्णय वादी के विरूद्ध कर दिया गया जिसमें भी वही आधार बताया गया कि घोषणात्मक अनुतोष के साथ धारा 53 का अनुतोष नहीं चाहा है। तनकी संख्या 13 के निर्णय में यह कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 अवयस्क थे जबकि वास्तविकता यह है कि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को अवयस्क का संरक्षक नियुक्त किये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। किन्तु विचारण न्यायालय ने

उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर न कर निर्णय पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचारण निर्णय के निर्णय को यथावत रखने का प्रयास किया गया है जबकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष विशिष्ट रूप से जो प्रश्न उठाया गया था जिसके अनुसार वादी का यह कथन रहा था कि तथाकथित 113 बीघा के लगभग जो भूमि क्रय किया जाना बताया है उसके संबंध में पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई एवं पुत्रों की सहमति के बिना जो विभाजन किया गया है उससे वादी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड सकता है। साथ ही धारा 209 के प्रावधानों का संज्ञान नहीं लिया गया है। इन सभी प्रश्नों को अनिर्णित छोडकर निर्णय पारित करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि की है। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–11–20024 एवं 18–04–2002 निरस्त किये जाकर वादी का वाद स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता रामजस के पास 60 बीघा भूमि पैतृक थी। इस भूमि की आय से परिवार के सदस्यों के नाम 113 बीघा भूमि और खरीदी गई और इस प्रकार परिवार के पास कुल 173 बीघा भूमि हो गई। इस 173 बीघा भूमि में अपीलांट गोरधन के नाम से चक 23 पीटीपी में खरीदी गई 25 बीघा भूमि भी शामिल है। अपीलांट स्वयं अपना पेशा मजदूरी करना बताता है और मजदूरी से इतनी आय नहीं हो सकती कि वह स्वंय अपने नाम से 25 बीघा भूमि खरीद सके। वादी/अपीलांट ने केवल 60 बीघा भूमि में भूमि का बंटवारा कराये बिना अपने हिस्से की घोषणा कराने का वाद दायर किया, जो चलने योग्य नहीं था क्योंकि सम्पूर्ण भूमि 60 बीघा नहीं होकर 173 बीघा है और इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपीलांट/वादी का वाद खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। न्यायालय द्वारा धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष उन प्रकरणों में दिया जा सकता है जहां तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार यह दिया जाना आवश्यक हो। वादी/अपीलांट ने अपने वाद में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है और सम्पूर्ण पैतृक भूमि का विवरण भी नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 209 का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि पंजीकृत बंटवारानामा दिनांक 10–12–70 को अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर मान्य नहीं किया कि उस पर वादी के हस्ताक्षर नहीं है

जबकि यह दस्तावेज 60बीघा भूमि उन पुत्रों को देने के लिए लिखा गया था जिन्हे पूर्व में भी नहीं दी गई थी। हिन्दू लॉ के पेरा संख्या 323 के अनुसार पिता, अपने पुत्रों की सहमति के बिना भी विभाजन करने में सक्षम है। इसलिए बंटवारानामा के लिए वादी की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। अंत में उन्होंने अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5— बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6— विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में 14 तनकियात कायम की गई, जो निम्न प्रकार है—

1. आया वादी के दादा गोविन्दराम के नाम दावा के पेरा नं. 3 में दर्ज रकबा 60बीघा नहरी भूमि थी। वादी का दादा मरने के बाद उपरोक्त जमीन प्रतिवादी रामजस के नाम दर्ज है।
2. आया विवादग्रस्त भूमि जद्दी जायदाद होने की वजह से वादी का 1/8 हिस्सा का हकदार है तथा अपने हक की घोषणा तथा कब्जा पाने का हकदार है।
3. आया प्रतिवादीगण तथा वादी संयुक्त परिवार होने के नाते चक 24 पीटीपी में 93 बीघा व चक 5ई छोटी में 20 बीघा रकबा संयुक्त रूप से खरीद की हुई है। इस प्रकार इस परिवार के पास 173 बीघा जमीन है।
4. आया घरू बंटवारा के अनुसार वादी अपने हिस्सा की भूमि चक 24 पीटीपी में 25 बीघा प्राप्त कर चुका है। अब इस भूमि पर वादी का कोई हक हिस्सा नहीं है।
5. आया प्रतिवादीगण विभाजन जरिये रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 10—12—1970 अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है। अब वह इस रजिस्टर्ड विभाजन के आधार पर खातेदार है।
6. अन्य दादरसी
7. क्या प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 10—12—70 में मिली भूमि पर बतौर मालिक खातेदार शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा ऐलानिया तौर पर काबिज चले आ रहे है और इसका कब्जा वादी के प्रतिकूल रहा है जो परिपक्व है।
8.क्या वादी का वाद भूमि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अधिकार समाप्त हो गया है।
9.क्या दावा मियाद बाहर है।

10. क्या दावा में अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने का दोष है। यदि हॉ तो इसका वाद पर क्या प्रभाव है।

11. क्या रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 10–12–70 को मन्सूख करवाये बिना दावा नाकाबिल चलने के है।

12. क्या पक्षकारान की कुल 173 बीघा भूमि का विभाजन होने से वादी पुनः अकेली 60 बीघा वादग्रस्त कृषि भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है।

13. क्या प्रतिवादी सं.1 ने बेईमानी से 24.10बीघा भूमि इन्द्राज प्रतिवादी के नाम से व 22.10बीघा भूमि प्रतिवादी ताराचन्द के नाम से व 11 बीघा भूमि स्वयं के नाम से करवायी है।

14. अनुतोष

7– तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी में वादी व प्रतिवादीगण सभी ने 60 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व वादी के दादा गोविन्दराम से प्राप्त होना बताया है, जो तथ्य प्रदर्श–3 नामान्तरकरण से प्रमाणित है। ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की है, जो उचित है। तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 को वादी के विरूद्ध निर्णित किया है। वादी ने अपने वाद में अपने परिवार की सम्पूर्ण भूमि को सम्मिलित नहीं किया। इसके अलावा वादी ने परिवार के सदस्यों के धारण में स्थित 173 बीघा भूमि के बंटवारे का वाद भी प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई, जो सही है। तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। पक्षकारान की साक्ष्य से यह साबित है कि रामजस के नाम 60बीघा जमीन थी जिस पर पिता–पुत्र सभी एक साथ खेती करते थे एवं पिता के साथ रहते हुए ही जद्दी जायदाद की आय से और भूमि खरीदते रहे। वादी ने अपने बयान में जिरह में स्वीकार किया है कि अमरदेव व पूर्णराम ने जमीन एक ही बोली में खरीदी थी मेरे वाली जमीन एक साल बाद खरीदी थी। इसका यही तात्पर्य है कि परिवार समय–समय पर एक साथ काश्त करते हुए जमीन खरीदता रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण के पास कुल 173 बीघा भूमि है। जो एक ही हिन्दू मुश्तर्का खानदान के सदस्य पिता/पुत्र है। ऐसे में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 को प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया है, जो सही है।

8– तनकी संख्या 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 और 3 के आधार पर इस तनकी को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया, जो उचित है। तनकी संख्या 5 व 7 रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 10–12–70 पर आधारित होने से विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों तनकियों को एक साथ निर्णित करते हुए यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण 1, 6, 7 इस विभाजन पत्र के आधार पर अपने आप को काबिज बताते हैं। विभाजन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब यह विभाजन पत्र लिखा गया उस समय प्रतिवादी संख्या 6 व 7 नाबालिग थे। तो उस सूरत में ताराचंद की तरफ से उसके भाई अमरदेव व इन्द्रांज की तरफ से उसके भाई रामनारायण के हस्ताक्षर थे। इस बटंवारानामा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 पूर्णराम के न तो हस्ताक्षर हैं और न ही इनकी सहमति है। जब जद्दी जायदाद का घरू बटंवारा होता है तो उसमें सभी पुत्रों व पिता की सहमति होना अतिआवश्यक है। अतः इस बंटवारानामा से वादी व प्रतिवादी संख्या 3 पूर्णराम बंधे हुए नहीं है। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 पूर्णराम भी ने अपने बयानों में इस विभाजन से इन्कार किया है तथा प्रतिवादीगण शेष इस 60 बीघा जद्दी जायदाद की आय से और 113 बीघा भूमि खरीद करना स्वीकार करते है। ऐसी स्थिति में बटंवारानामा 10–12–70 के आधार जद्दी जायदाद सही बटंवारा हो जाना स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इन आधारों पर विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 5 व 7 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त दोनों तनकियों के संबंध में यह अभिमत पारित किया है कि– ''तनकी नं0 5व 7 का निर्णय अधी0न्यायालय द्वारा प्रतिवादी–रेस्पो0 के विरूद्ध किया गया है। यह निर्णय मुख्यतः इस बिन्दु पर आधारित है कि अधी0न्यायालय में पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 10–12–70 जो कि प्रदर्श डी–2 है को मान्यता नहीं दी है। इस सन्दर्भ में वकील रेस्पो0का यह कथन उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने आदिनांक तक इस बंटवारानामा को चुनौती नहीं दी है बल्कि वह इसे आधार बनाकर वाद लाये है इसलिए यह बंटवारानामा अन्तिम हो चुका है और इसके आधार पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी हो चुका है। इसलिए अधी0न्यायालय ने इस अभिलेख को अस्वीकार करके कानूनी भूल की है। वकील अपीलांट ने इस सन्दर्भ में यह कथन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि इस अभिलेख पर अपीलांट एवं समस्त परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण यह स्वीकार योग्य नहीं है। हिन्दु विधि के पैरा 323 के अनुसार परिवार का कर्ता अन्य सदस्यों की सहमति के बिना भी सम्पति का विभाजन कर सकता है और इस नियम के अनुसार

रेस्पो0रामजस ने प्रदर्श डी–2 द्वारा जो पारिवारिक विभाजन किया है वह सही प्रतीत होता है। इस प्रकार हमारे विचार में उक्त दोनों तनकीयात प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय नहीं की जाकर उनके पक्ष में तय की जानी चाहिए थी।

9– विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 8 को तनकी संख्या 7 पर आधारित होना मानते हुए तनकी संख्या 8 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 8 के संबंध में यह अभिमत दिया है कि–''तनकी नं0 8 पैतृक 60 बीघा भूमि पर रेस्पो0 ताराचन्द और इन्द्राज के प्रतिकूल कब्जा से सम्बन्धित है जिसे अधी0न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है जो हमारे विचार में उचित नहीं है क्योंकि पारिवारिक बंटवारानामा प्रदर्श डी–2, 1970 में लिखा गया था जबकि ताराचन्द और इन्द्राज नाबालिग थे उक्त दोनों 1982 में बालिग हो गये और 1982 से अब तक उनके कब्जा इस भूमि पर मुखालफाना हो चुका है। इस प्रकार यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

10– तनकी संख्या 9 को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी पर था। इस तनकी को विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आधार पर निर्णित किया कि वादी द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकाकरी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया धारा 88 में कोई मियाद नहीं होती। अतः वाद पत्र मियाद बाहर नहीं कहा जा सकता तथा धारा 53 का वादी ने रिलीफ नहीं चाहा है। अतः धारा 88 के रिलीफ के बाद इसमें धारा 183 का सीधे रिलीफ नहीं दिया जा सकता, विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त मत सही है। वाद में अनावश्यक पक्षकार नहीं होने से एवं तनकी संख्या 10 पर पक्षकारान द्वारा बहस नहीं करने से तनकी संख्या 10 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की गई, जो सही है।

11– तनकी संख्या 11 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विचारण न्यायालय ने इस तनकी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आधार पर निर्णित किया कि दस्तावेज प्रदर्श डी–2 पर वादी या प्रतिवादी संख्या 3 के हस्ताक्षर नहीं है। दोनों ने अपने बयानों में भी इस विभाजन पत्र पर असहमति जताई है व इसकी जानकारी से इन्कार किया है तथा तनकी संख्या 1 में यह जद्दी जायदाद निर्विवाद साबित हो चुकी है। अतः यह दस्तावेज धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद पत्र पर बेअसर है तथा इस न्यायालय में इस दस्तावेज को बिना मन्सूख कराये दावा लाया जा सकता है। तनकी संख्या 11 के संदर्भ में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने

यह अंकित किया है कि– ''अभिलेख से स्पष्ट है कि दिनांक 10.12.70 का पारिवारिक बंटवारानामा एवं पंजीकृत दस्तावेज है जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हो चुका है यदि परिवार के शेष सदस्य पूर्व में हुए 113 बीघा भूमि के पारिवारिक बंटवारे को स्वीकार करते हैं तो यह दस्तावेज भी निर्विवाद रूप से स्वीकार योग्य है और इसके मन्सूख कराये बिना वादी अपीलांट वाद लाने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित नहीं की जाकर उनके पक्ष में निर्णित किये जाने योग्य है।

12– तनकी संख्या 12 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण ने संयुक्त हिन्दू मुश्तर्का खानदान के सदस्यों के नाम 113 बीघा भूमि खरीद करना बताया है। जो इस 60 बीघा की आय से खरीद की गई है। अतः जब तक एक ही वाद में समस्त 60 बीघा जद्दी जायदाद तथा 113 बीघा खरीद की गई जद्दी जायदाद का घोषणात्मक व विभाजन का वाद न लाया जाये, तब तक 60 बीघा भूमि का विभाजन नहीं किया जा सकता। वादी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में विभाजन का निवेदन किया। ऐसे में अकेले 60 बीघा भूमि बाबत् वाद नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 12 को वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया है, जो उचित है।

13– तनकी संख्या 13 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी का यह कथन रहा है कि दस्तावेज प्रदर्श–2 बटंवारानामा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 की सहमति नहीं थी। अतः जद्दी जायदाद के बंटवारा में ऐसा दस्तावेज नहीं लिखा जा सकता, जब तक कि सभी सदस्यों में सहमति न हो। उपरोक्त आधारों पर विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 13 को वादी के पक्ष में निर्णित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 13 के संदर्भ में यह अभिमत दिया है कि– ''तनकी नं0 13 का निर्णय अधी0 न्यायालय ने वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया है और इसका आधार यह माना है कि पारिवारिक बंटवारानामा पर सभी परिवार के सदस्यों के हस्ताक्ष नहीं होने से यह स्वीकार योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में वकील रेस्पो0 का यह तर्क महत्वपूर्ण है कि वह दस्तावेज परिवार के कर्ता रामजस द्वारा संयुक्त परिवार के मुखिया होने के नाते लिखा गया है। हिन्दु अधिनियम के पैरा 323 के अनुसार रामजसको ऐसा बंटवारा करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी सं0 1 रामजस ने

बेईमानी से 24.10 बीघा भूमि का इन्द्राज प्रतिवादी इन्द्राज के नाम से और 22.10 बीघा भूमि का इन्द्राज प्रतिवादी ताराचन्द के नाम से और 11 बीघा भूमि का इन्द्राज स्वयं के नाम से कराया है। यदि इस इन्द्राज को कपटपूर्वक माना जाता है तो प्रतिवादी सं0 1 रामजस द्वारा वादी गोरधन के पक्ष में कराया गया 25 बीघा भूमि का इन्द्राज कपटपूर्वक माना जाना चाहिए परन्तु चूंकि यह सिद्ध नहीं हुआ है इसलिए पारिवारिक बंटवारानामा प्रदर्श डी–2 को स्वीकार करते हुए यह तनकी भी वादीगण के विरूद्ध और प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित है।'' अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार तनकीवार निर्णय पारित करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित मानते हुए अपीलांट की अपील खारिज की है।

14– उपरोक्त विवेचन से यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि विवादग्रस्त 60बबीघा आराजी जद्दी जायदाद थी जिसके आय से परिवार के सदस्यों के नाम समय–समय पर भूमि खरीद की गई। वादी ने अपने वाद में परिवार की सम्पूर्ण भूमि को सम्मिलित नहीं किया। इसके अतिरिक्त वादी ने परिवार के सदस्यों के धारण में स्थित 173 बीघा भूमि के बंटवारे का वाद भी प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी/अपीलांट का वाद एवं अपील खारिज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से सहमत हैं एवं उनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते है। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष